भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4302

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

4302. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्यरत चीनी मिलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता प्राप्त करने के लिए चीनी मिलों से सरकार को प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों की संख्या का ब्यौरा राज्यवार और वर्षवार क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक राज्यवार, वर्षवार और बैंकवार कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है; और

(ङ) योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में बदल चुके खातों के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा राज्यवार और वर्षवार क्या हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): वर्तमान चीनी सत्र 2024-25 के दौरान चालू चीनी मिलों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2018 से 2022 तक इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी मिलों/अनाज आधारित डिस्टलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाओं के तहत, सरकार ने कुल 1212 पात्र परियोजनाओं (590 शीरा आधारित, 474 अनाज आधारित और 148 दोहरे फीड) को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

(ग): कुल 304 इथेनॉल विनिर्माण डिस्टलरियों (स्वतंत्र डिस्टलरियों और चीनी मिलों से जुड़ी डिस्टलरियों सहित) ने वर्ष 2018 से 2022 तक अधिसूचित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की है/ले रही हैं। लाभान्वित डिस्टलरियों का राज्यवार ब्यौरा और ब्याज अनुदान योजनाओं के तहत नाबार्ड द्वारा जारी की गई राज्यवार धनराशि **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 4687 करोड़ रुपये है। पात्र चीनी मिलों/अनाज आधारित डिस्टलरियों को ब्याज सहायता जारी करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। पात्र चीनी मिलों/अनाज आधारित डिस्टलरियों के ऋणदाता बैंकों को आगे भुगतान के लिए नाबार्ड को धनराशि जारी की जाती है। योजना के तहत इसकी शुरुआत से नाबार्ड को जारी की गई वर्षवार धनराशि का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): नाबार्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना की शुरुआत से कर्नाटक राज्य की 6 डिस्टलरियों को उनके ऋणदाता बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) घोषित किया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4302 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान चीनी सत्र 2024-25 में चालू चीनी मिलों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	122
2.	महाराष्ट्र	200
3.	कर्नाटक	79
4.	गुजरात	15
5.	तमिलनाडु	30
6.	बिहार	10
7.	हरियाणा	14
8.	पंजाब	15
9.	मध्य प्रदेश	20
10.	उत्तराखंड	8
11.	आंध्र प्रदेश	5
12.	तेलंगाना	7
13.	छतीसगढ़	4
14.	ओडिशा	2
15.	राजस्थान	1
	कुल	**532**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4302 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित डिस्टिलरियों का राज्यवार विवरण

राज्य	इकाइयों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	3	8.04
असम	2	5.25
बिहार	15	74.53
छतीसगढ़	1	6.12
गुजरात	6	11.61
हरियाणा	8	49.71
झारखंड	4	12.66
कर्नाटक	56	331.31
मध्य प्रदेश	20	73.39
महाराष्ट्र	75	274.62
ओडिशा	10	17.81
पंजाब	14	96.39
राजस्थान	3	4.67
तमिलनाडु	3	6.06
तेलंगाना	1	20.71
उत्तर प्रदेश	73	344.02
उत्तराखंड	4	14.94
पश्चिम बंगाल	6	34.55
कुल योग	**304**	**1386.37**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4302 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

योजना के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक नाबार्ड को जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष**	**नाबार्ड को जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)**
इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और विस्तार के लिए चीनी मिलों/डिस्टिलरी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	2019-20	50
	2020-21	150
	2021-22	160
	2022-23	175
	2023-24	400
	2024-25	600
	कुल	**1535**